न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-71/2014

1- बसन्ती देवी पुत्री ओमप्रकाश धर्मपत्नी मालीराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढाणी ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल प्रतिग्रह गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर आदि

--प्रार्थी/अपीलान्टस

---बनाम---

1- गोविन्दराम पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी ढाणी ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर । आदि

-अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस-

प्रार्थना पत्र आदेश-22

नियम-4 सीपीसी बाबत ।

--0--

सत्यमेव जयते

उपस्थिति-

1-श्री महेश कुमार जांगीड एडवोकेट-प्रार्थी/अपीलान्ट

2-श्री मदनलाल शर्मा एडवोकेट--अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक- 4.7.2018

प्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-4 सीपीसी में कथन किया कि उक्त उनवानी अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या-13 नाथुराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 14 बैजनाथ, रेस्पोडेन्ट संख्या-24 रामकिशोर की मृत्यु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नोटिसों की तामिल पर आने से हुई है । अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का है । जो भोला भाला है जिसको कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है । वह अपने जीवन-यापन के लिये ग्राम खाटूश्यामजी की टाटा नगर धर्मशाला में देखभाल का काम करता । रेस्पोडेन्ट ग्राम ढाबावाली टाटा नगर व जयपुर आवास निवास करते हैं इस कारण उनकी मृत्यु की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं हो पाई । गत पेशी के सम्मनों पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट से इनकी मृत्यु की जानकारी

हुई जिस पर जानकारी से तुरन्त यह प्रार्थना पत्र वारिसान की जानकारी कर पेश किया है । प्रार्थना पत्र के साथ दफा-5 अवधि अधिनियम एवं आवेदन अबेटमेन्ट सैट असाईट करने का पेश कर दिया है । अत: प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जावे तथा अपील को मियाद के अन्दर सुमार किया जावे तथा अपील में अबैटमेन्ट को सैट असाईट किया जावे । बहस के समर्थन में आरआरटी 2011(2) पेज 916(एस0सी0) आरआरटी 2013(1) पेज-432, आरआरटी 2012(2) पेज 1148, आरआरडी 2009 पेज 233, आरआरटी 2010 (1) पेज-168 आरआरटी 2014(2) पेज 885 पेश कर पुन: प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थनों पत्र का जबाव पेश करते हुये कथन किया कि अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि अपीलान्ट को रेस्पो0 सं0-13 नाथूराम, रेस्पोडेन्ट संख्या-14 बैजनाथ एवं रेस्पो0सं0-24 रामकिशोर की मृत्यु की जानकारी गत पेशी पर सम्मनों की तामिल से हुई है । अपीलान्ट को उक्त तीनों की मृत्यु की जानकारी मृत्यु के दिनांक से ही रही है।ढाबावाली से खाटूश्यामजी की दूरी करीब 45 किलोमीटर है और अपीलान्ट के कई परिचित ढाबावाली में है और आज तो मौबाईल की सुविधा है इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इन्हे मृत्यु की जानकारी सम्मन पर आई रिपोर्ट से ही हुई है ।इतने लम्बे समय तक मृत्यु की जानकारी नहीं होना मान्य नहीं है ।रेस्पोडेन्ट सं0-13 की दो पुत्रियों एवं रेस्पोडेन्ट-24 की एक पुत्री को वारिस नहीं बनाया जो आवश्यक वारिस है ।नाथूराम की मृत्यु माह नवम्बर 2008 एवं रामकिशोर की मृत्यु माह अप्रेल2012 में हो चुकी थी ।अपीलान्ट ने यह अपील मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पेश की है जो कानूनन नालटी है ।जबकिसी पक्षकार की मृत्यु अपील प्रस्तुत करने से पूर्व हो जाती है तो उसके कायम मुकाम आदेश-22 नियम-4 सीपीसी के तहत बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । रेस्पोडेन्ट संख्या-13 व 14 की मृत्यु अपील पेश करने से पूर्व ही क्रमश: माह नवम्बर 2008 व माह अप्रेल 2012 में हो चुकी थी अपील इनकी मृत्यु के बाद दिनांक 15-6-2014 को पेश की गई है ।इस प्रकार मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत अपील नल्टी है । रेस्पोडेन्ट संख्या

14 बैजनाथ की मृत्यु अपील प्रस्तुत करने के कुछ माह बाद माह सितम्बर 2014 मे हो गई फिर भी माह सितम्बर 2014 से दिनांक 16-1-2018 तक उसके कायम मुकाम की कार्य प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा नहीं ब की गई ।जबकि बैजनाथ की मृत्यु से 90 दिवस में कायम मुकाम की कार्यवाही की जानी चाहिये थी कायम मुकाम की कार्यवाही 90 दिन में नहीं करने पर यह अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी है प्रार्थी ने अपील अबैट होने के 60 दिन मे अबैटमेन्ट को सैट असाईट करने का आवेदन पेश करना चाहिये किन्तु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया वह समय भी प्रार्थी/अपीलान्ट का निकल गया ।इस कारण अपीलान्ट की अपील सम्पूर्ण रूप से अबैट हो चुकी है। अपील में सभी रेस्पोंडेन्ट के विरूद्ध संयुक्त रूप से रिलीफ चाही है। इस कारण अपीलान्ट की अपील सम्पूर्ण रूप से अबैट हो चुकी जिसके समर्थन मे ए0आई0आर 1978 पेज-16 पेश कर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज कर अपील को सम्पूर्ण रूप से अबैट की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया ।रेस्पोंडेन्ट संख्या-13 व 24 का देहान्त अपील पेश करने से पूर्व ही हो चुका है। इसके सम्बन्ध में प्रार्थी/अपीलान्ट ने कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया बल्कि उन्होने जो नजीर पेश की है उसमे यह स्पष्ट किया है कि रेस्पोंडेन्ट के वकील की भी जिम्मेदारी थी की वह न्यायालय को सूचना देता । किन्तु प्रस्तुत अपील मे मृतक रेस्पोंडेन्ट का कोई वकील नही है । इस कारण विद्वान वकील अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है उनके तथ्य प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न है । जिससे कारण यह नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं है । प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट ने मृतक की मृत्यु की न तो दिनांक माह एवं वर्ष लिखा है केवल लिख दिया की इनकी मृत्यु हो चुकी। अपीलान्ट प्रार्थना पत्र दिनांक 16-1-2018 को पेश किया है। जो पूर्णतया मियाद बाहर है । रेस्पोंडेन्ट ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे रेस्पोंडेन्ट संख्या-13 व 24 की मृत्यु अपील पेश करने से पूर्व ही होना बताया है तथा रेस्पोंडेन्ट सं0- 14 बैजनाथ की मृत्यु माह सितम्बर 2014 में हुई जिसका मृत्यु के 90 दिवस में कायम मुकाम तथा इसके बाद 60 दिवस मे सैट अबैटमेन्ट सैटअसाईड करने प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है।

यह प्रार्थना पत्र भी समय सीमा के बाहर पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के साथ दफा-5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है किन्तु उसमें कोई सन्तोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया है । अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-4 सीपीसी सियाद बाहर है । जिससे यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । अपीलान्ट द्वारा समस्त रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध संयुक्त रूप से रिलीफ चाही है । इस कारण अपीलान्ट की अपील अबैट होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 4-7-2018 को सुनाया गया ।

4/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर